प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 173 बी.एन.एस.एस)

1. जिला जयपुर थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0 नि0ब्यूरो जयपुर वर्ष 2024
   प्र0सू0रि0सं0 ....160...../2024 दिनांक 1-08-2024
   (I) धारा 13 (1) (ई) सपठित 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, 120बी भादस एवं धारा 12,13 (1) (बी) सपठित धारा 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018)
   (II) अधिनियम..धाराऐं ....
   (III) अधिनियम..धाराऐं.......................................
   (IV) अन्य अधिनियम एवं धाराऐं..
2. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या....................06..........समय.......2:15 pm
   (ब) अपराध घटने का दिन..........................दिनांक.........................समय......
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक..................................समय.......
3. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक लिखित
4. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी करीब
   (ब) पता – ....
   ....बीट संख्या.............................जरायमदेही सं.
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो.........
   पुलिस थाना..जिला....................................
5. परिवादी/सूचनाकर्ता :–सूत्र सूचना संख्या 10/2020
   (अ) नाम –
   (ब) पिता/पति का नाम
   (स) जन्म तिथि/वर्ष...
   (द) राष्ट्रीयता..
   (य) पासपोर्ट संख्या... जारी होने की तिथि...........
   जारी होने की जगह..
   (र) व्यवसाय...
   (ल) पता –
6. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–
   1–श्री योगेश आचार्य पुत्र श्री पुरषोतम दास आचार्य निवासी पुलिस कोतवाली के पीछे मीनू सडक बाडमेर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी व कार्यवाहक आयुक्त नगर परिषद सांचोर।
   2–श्रीमती अंजना आचार्य पत्नी श्री योगेश आचार्य निवासी पुलिस कोतवाली के पीछे मीनू सडक बाडमेर हाल शिक्षिका जोधपुर ।
   3–श्री राजूराम पुत्र श्री कालूराम जाति जाट निवासी– आनन्दपुर कालू तहसील जैतारण जिला ब्यावर हाल– संवेदक मैसर्स एम एस राजुराम।
   4–श्री चूनाराम पुत्र श्री निम्बाराम जाति माली निवासी– बलदेव नगर बाडमेर संदिग्ध का प्राईवेट चालक व ठेकेदार फर्म सुधां माता कन्ट्रक्शन ।
7. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :– कोई विलम्ब नही
8. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
9. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य
10. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)..
11. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाऐं) :–

महोदय,

विश्वस्त सूत्रों से **श्री योगेश आचार्य अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सुमेरपुर जिला पाली** के विरूद्ध सूचना प्राप्त होने पर सूत्र सूचना संख्या 10/2020 का गोपनीय सत्यापन ब्यूरो स्तर पर किया गया, जिसके अनुसार ज्ञात हुआ कि संदिग्ध अधिकारी श्री योगेश आचार्य तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सुमेरपुर जिला पाली हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी व कार्यवाहक आयुक्त नगर परिषद सांचोर (मोबाईल नम्बर , पेन कार्ड नम्बर AFSPA03518 आधार कार्ड नम्बर 6007 3317 5431) पुत्र श्री पुरषोतम दास आचार्य निवासी पुलिस कोतवाली के पीछे मीनू सडक बाडमेर तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सुमेरपुर जिला पाली जो वर्ष 1995 में

P72

स्थानीय निकाय विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्त होकर सेवाकाल के दौरान विभागीय पदोन्नति द्वारा कार्यालय सहायक के पद पर पदोन्नति हुई जिस पर वर्ष 2019 में संदिग्ध को स्वायत्त शासन विभाग जयपुर द्वारा अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सुमेरपुर व तखतगढ जिला पाली के रिक्त पद पर कार्य करने हेतु अधिकृत किया गया था। संदिग्ध श्री योगेश आचार्य की पत्नी श्रीमती अंजना आचार्य वर्ष 1999 से अब तक सरकारी स्कूल में शिक्षिका के पद पर पदस्थापित है। श्रीमती अंजना आचार्य जोधपुर स्थित फ्लेट नम्बर 202 मन्नत ऐम्बेसी अशोक नगर पाल रोड में निवास करती है। पति पत्नी अलग–अलग जगह नौकरी होने के कारण दोनों अलग–अलग जगह रहते है। श्रीमती अंजना आचार्य के आधार नम्बर 603733597076 व पेन नम्बर AIAPA9951A है। संदिग्ध के एक पुत्र जिसका नाम लक्ष्य आचार्य है जो जयपुर में रहकर कॉलेज में अध्ययनरत था जिसकी कोरोना काल में मृत्यु हो चुकी है एवं एक पुत्री जिसका नाम पदमश्री उर्फ पलक आचार्य है जो माह जून वर्ष 2021 से माह नवम्बर वर्ष 2023 तक अमेरिका में अध्ययनरत रही है। संदिग्ध अधिकारी श्री योगेश आचार्य की जन्म तिथि 03.04.1972 है जिसके अनुसार सेवानिवृति तिथी 30.04.2032 को है।

संदिग्ध अधिकारी के वैध आय का स्त्रोत संदिग्ध स्वयं का वेतन एवं संदिग्ध की पत्नी शिक्षिका के वेतन से है तथा संदिग्ध अधिकारी के राजकीय सेवा में आम छवि एक भ्रष्ट अधिकारी की रही है संदिग्ध अधिकारी ने अपने सेवाकाल में विभिन्न जगहो पर स्वयं के एवं अपने परिजनो के नाम परिसम्पतियो का निवेश किया गया है। नीचे वर्णित परिसम्पतियों के अलावा अहमदाबाद में संदिग्ध के एक फ्लेट होना भी ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी के बैक खाते को देखने पर संदिग्ध द्वारा नगर पालिका के अधिशाषी अधिकारी व नगर परिषद् के आयुक्त पद पर रहते हुए अपने वेतन खाते आईसीआईसीआई बैक खाता संख्या 681201068477 मे अपने पद का दुरुपयोग करते हुए नगर पालिका तखतगढ, नगर परिषद बाडमेर, नगर परिषद पाली, नगर पालिका सुमेरपुर, नगर परिषद सिरोही, नगर परिषद् सांचोर एवं नगर पालिका पिण्डवाडा से सीधे अपने खाते मे अवैध रुप से **1,04,96,068/–** रुपये भी ट्रान्सफर करना पाया गया हैं जो अनुसंधान के दौरान जांच योग्य है।

संदिग्ध श्री योगेश आचार्य सहायक प्रशासनिक अधिकारी व कार्यवाहक आयुक्त नगर परिषद सांचोर द्वारा अपने राजकीय सेवा पदस्थापन से वर्तमान तक गोपनीय सत्यापन से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अर्जित परिसम्पतियां एवं बैक खातों में उपलब्ध राशि की सूचना अ,ब,स,द प्रफोर्मा में निम्नानुसार हैं :–

<u>**प्रपत्र–अ**</u>

चैक पीरियड **वर्ष 1995 से खाना तलाशी दिनांक** से पूर्व अर्जित सम्पतियों का विवरणः–

क्र. सं.	परिसम्पतियों का विवरण	खरीदने/ निवेश की दिनांक/वर्ष	किसके नाम खरीदी गई– एस.ओ. से संबध	परिसम्पति का मूल्य	खरीद मूल्य
1.	2.	3.	4.	5.	6.

<u>**प्रपत्र–ब**</u>

चेक पीरियड के अन्त में (वर्ष 1995 से खाना तलाशी दिनांक तक) मौजूद परिसम्पतियों का विवरणः–

क्र. सं.	परिसम्पतियों का विवरण	खरीदने/ निवेश की दिनांक/वर्ष	किसके नाम खरीदी गई– संदिग्ध से संबध	परिसम्पति की खरीद का मूल्य
1.	2.	3.	4.	5.
1	ग्राम कोलीवाडा सुमेरपुर जिला पाली में 2 बीघा जमीन जो दिनांक 16.09.2020 को संदिग्ध द्वारा अपने परिचित राजुराम पुत्र श्री कालूराम निवासी आनन्दपुर कालू जैतारण जिला ब्यावर ठेकेदार के नाम जरिये रजिस्ट्री डी.एल.सी. दर के 1,95,000/– रूपये में (नकद भुगतान से) खरीदना पाया गया उक्त जमीन पर चारदीवारी निर्माण कर 7500 वर्गफुट दो मंजिला मकान तैयार करवाया जा रहा हैं जिसमे निरीक्षण के दिन 19.06. 2024 तक दो मंजिला छत निर्माण तक कार्य पूर्ण हो चुका था। जिसकी अनुमानित लागत 50,00,000/–रूपये (चार दिवारी 7.00 लाख	2020	अपने परिचित परिचित राजुराम पुत्र श्री कालूराम निवासी आनन्दपुर कालू जैतारण जिला ब्यावर ठेकेदार के नाम	51,95,000/–

	रुपये व निर्माणाधीन मकान लागत 43.00 लाख रुपये) होना पाया गया। उक्त फार्म हाउस पर वर्तमान में संदिग्ध के पुत्र लक्ष्य आचार्य का बोर्ड लगा है तथा उक्त बोर्ड पर योगेश आचार्य के स्वयं के मोबाईल नम्बर 9414204440 लिखे हुए पाये गये। जिस पर वर्तमान में मकान निर्माणधीन है।			
2	संदिग्ध अधिकारी का पुस्तैनी मकान नगर परिषद् बाडमेर के पीछे वाली गली में स्थित है, उक्त मकान में स्वंय के हिस्से मे आये पुस्तैनी मकान के ऊपर दो मंजिला मकान निर्माण, फर्नीचर लाईट फिटिग, रंग रोगन व सेनेट्री का कार्य और मरम्मत के पेटे वर्ष 2018–19 में (अनुमानित) 20,00,000/– रूपये खर्च करना पाया गया।	2018–19	स्वंय के नाम	20,00,000/–
3	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती अंजना आचार्य के नाम मन्नत एम्बेसी अशोक नगर पाल लिंक रोड जोधपुर में एक फ्लेट नम्बर 202 हैं जिसकी रजिस्ट्री अभी तक नही करवाई गई हैं, परन्तु वर्ष 2018 से संदिग्ध की पत्नी इसी फ्लेट मे निवास करती हैं और फ्लेट के बाहर पुरे परिवार के नाम का बोर्ड लगा हुआ हैं। उक्त फ्लेट की अनुमानित कीमत 37,03,300/– रूपये होना पाया गया।	2018	संदिग्ध द्वारा फ्लेट की रजिस्ट्री करवाना शेष हैं। इस बाबत पति/पत्नी दोनो के खातो से मन्नत एम्बेसी के मालिक रिषभ होम के खाते मे वर्ष 2018 से ट्रान्जेक्शन होना पाया गया।	37,03,300/– संदिग्ध अधिकारी के फ्लेट के पंजीयन दस्तावेज उपलब्ध नही होने पर पडौसी फ्लेट नम्बर 203 के पंजीयन दस्तावेज के अनुसार
4	संदिग्ध अधिकारी के स्वंय के नाम ग्राम जवाई बांध पटवार हल्का बलवना तहसील सुमेरपुर जिला पाली में खसरा नम्बर 668/135, 0.04 हेक्टेयर कृषि भूमि वर्ष 2024 मे खरीदना पाया गया। जिसका भुगतान रजिस्ट्री अनुसार चैक से होना पाया गया।	दिनांक 24.06. 22024	स्वंय के नाम	71,620/–
5	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती अंजना आचार्य के नाम ग्राम जवाई बांध पटवार हल्का बलवना तहसील सुमेरपुर जिला पाली में खसरा नम्बर 138 व 667/135,1.21 हेक्टेयर कृषि भूमि वर्ष 2023 मे खरीदना पाया गया। जिसका भुगतान रजिस्ट्री अनुसार चैक से होना पाया गया।	दिनांक 12.04. 2023	संदिग्ध की पत्नी के नाम	9,79,152/–
6	संदिग्ध अधिकारी के पूर्व में रहे ड्राईवर श्री चूनाराम माली पुत्र श्री निम्बाराम माली निवासी बलदेवनगर बाडमेर के नाम ग्राम जवाई बांध पटवार हल्का बलवना तहसील सुमेरपुर जिला पाली में खसरा नम्बर 133,134,139,140 व 144 में कुल रकबा 4. 21 हेक्टेयर कृषि भूमि जो मौके पर सत्यापन के दिन पडौसी द्वारा संदिग्ध योगेश आचार्य की होना बताया। उक्त तीनों क्रम संख्या 4	दिनांक 01.12. 2023	संदिग्ध के ड्राईवर श्री चूनाराम माली के नाम	37,19,200/–

P-72

	से 6 तक की परिसम्पति मौके पर एक ही चारदीवारी व तारबन्दी से घिरी हुई है। तीनों सम्पति कुल 5.46 हेक्टेयर है। जो मौके पर पड़ौसियो को पूछने पर संदिग्ध योगेश आचार्य की होना बताया। (जिसका भुगतान रजिस्ट्री अनुसार आरटीजीएस से होना पाया गया। उक्त भुगतान ए.यू. बैंक के बाडमेर ब्रांच के खाता नम्बर 2302229247086250 से आरटीजीएस होना पाया गया। उक्त खाते में 26.06.2023 से 15.07.2023 तक नगर परिषद बाडमेर के खाते से रूपये चैक के माध्यम से आये है एवं 24.07.2023 को उक्त खाते में से 34,00,000/– रूपये इस जमीन के बदले घीसूलाल दूदाराम चौधरी को आरटीजीएस हुए है।)			
7	उपर वर्णित क्रम संख्या 4 से 6 की एक मुश्त 500 फीट चारदीवारी, बाकी खेत की तारबन्दी व उसके अन्दर 20 बाई 20 का कमरा बना हुआ पाया गया।	2024	संदिग्ध स्वंय के नाम	6,00,000/–
8	संदिग्ध अधिकारी के नाम नारायण विहार सांगानेर योजना जयपुर में रॉयल फ्लोरेन्सी मे एक फ्लेट नम्बर 1202 लॉक एण्ड की वर्ष 2019 में 35,51,000/रूपये में खरीदना तथा रजिस्ट्री खर्च 3,12,488/रूपये कुल कीमत 3863488/– रूपये होना पाया गया।	2019	स्वंय के नाम	38,63488/–
9	संदिग्ध श्री योगेश आचार्य के पुत्र लक्ष्य आचार्य के नाम से एक ईनोवा कार नम्बर आर.जे. 19 यू.डी. 6969 वर्ष 2020 में 28,00,000/–रूपये में खरीदना पाया गया	28.04.2020	संदिग्ध के पुत्र के नाम	28,00,000/–
10	संदिग्ध श्री योगेश आचार्य के नाम से एक स्कोर्पियो नम्बर आर.जे. 04 यू.बी. 9999 वर्ष 2020 में 17,00,000/–रूपये में खरीदना पाया गया	29.07.2020	संदिग्ध के नाम	17,00,000/–
11	संदिग्ध श्री योगेश आचार्य के पास एक बोलेरो झेड एल एक्स नम्बर आर.जे. 22 यू. बी. 6969 कुल 10,00,000/–रूपये में खरीदना पाया गया	27.11.2020	अपने परिचित राजुराम ठेकेदार के नाम (संदिग्ध के जोधपुर स्थित मनत एम्बेसी अशोक नगर पाल लिंक रोड जोधपुर के गोपनीय सत्यापन के रोज उसके फ्लेट के आगे खडी पाया जाना व गाडी के नम्बर संदिग्ध के पंसन्द के नम्बर होना)	10,00,000/–
12	संदिग्ध श्री योगेश आचार्य के पास एक होण्डा डब्लू आर–वी नम्बर आर.जे. 19 सी.	16.04.2019	संदिग्ध के नाम	12,00,000/–

	जे. 6969 कुल 12,00,000/–रूपये में खरीदना पाया गया			
13	संदिग्ध श्री योगेश आचार्य एवं उनके परिजनो के नाम से एक मोटरसाईकिल व एक स्कूटी होना पाया गया जिनकी अनुमानित कीमत 1,30,000/– रूप्ये में खरीदना पाया गया		संदिग्ध स्वयं व परिजनो के नाम सत्यापन से घर के अन्दर होना पाया गया।	1,30,000/–
14	संदिग्ध श्री योगेश आचार्य के नाम यूनियन बैक ऑफ इण्डिया बाडमेर में खाता सख्यां 592102010001214 जिसका जून 2024 को अन्तिम बैलेस 1694/– रूपये होना पाया गया।	2010	स्वयं के नाम	1694/–
15	संदिग्ध श्री योगेश आचार्य के पुत्र श्री लक्ष्य आचार्य के नाम यूनियन बैक ऑफ इण्डिया बाडमेर में खाता सख्यां 592102010005137 जिसका जून 2024 को अन्तिम बैलेस 1618/– रूपये होना पाया गया।	2014	संदिग्ध के पुत्र श्री लक्ष्य के नाम	1618/–
16	संदिग्ध श्री योगेश आचार्य के पत्नी श्रीमती अंजना आचार्य के नाम यूनियन बैक ऑफ इण्डिया बाडमेर में खाता सख्यां 592102010003292 जिसका जून 2024 को अन्तिम बैलेस 640/– रूपये होना पाया गया।	2012	संदिग्ध के पत्नी के नाम	640/–
17	संदिग्ध की पुत्री पदमश्री/पलक आचार्य के नाम यूनियन बैक ऑफ इण्डिया बाडमेर में खाता सख्यां 592102010008898 जिसका जून 2024 को अन्तिम बैलेस 1664/– रूपये होना पाया गया।	2014	संदिग्ध के पुत्री के नाम	1664/–
18	संदिग्ध श्री योगेश आचार्य के नाम आईसीआईसीआई बैक बाडमेर में वेतन बचत खाता सख्यां 681201068477 जिसका 16 जुलाई 2024 को अन्तिम बैलेस 24,47,532/– रूपये होना पाया गया।	2024	संदिग्ध स्वंय के नाम	24,47,532/–
19	संदिग्ध श्री योगेश आचार्य के पत्नी श्रीमती अंजना आचार्य के नाम एसबीआई बैंक बाडमेर में वेतन बचत खाता सख्यां 61149251485 जिसका 1 जुलाई 2024 को अन्तिम बैलेस 10,08,467/– रूपये होना पाया गया।	2024	संदिग्ध की पत्नी के नाम	10,08,467/–
	संदिग्ध के पास वर्ष 1995 से खाना खाना तलाशी दिनांक तक मौजूद परिसम्पतियों का कुल मूल्य का योगः–			**3,04,23,375/–**

प्रपत्र–स

चैक पीरियड वर्ष 1995 से खाना तलाशी दिनांक तक की अवधि में संदिग्ध, उसकी पत्नि एंव बच्चों द्वारा अर्जित की गई शुद्ध आय :–

क्रं. सं.	आय का शीर्षक का विवरण	आय प्राप्ति की अवधि दिनांक / वर्ष	किसके द्वारा आय अर्जित की गई – संदिग्ध से संबध	शुद्ध आय (राशि)
1.	2.	3.	4.	5.
1	संदिग्ध श्री योगेश आचार्य वर्ष वर्ष 1995 में स्थानीय निकाय विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्त होकर सेवाकाल के दौरान विभागीय पदोन्निति द्वारा वर्ष 2005 में कनिष्ठ लिपिक कार्यालय सहायक के पद पर पदोन्निति हुई जिस पर वर्ष 2019 में संदिग्ध को स्वायत्त शासन विभाग जयपुर द्वारा अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सुमेरपुर व तखतगढ जिला पाली के रिक्त पद पर पदस्थापित रहा की आय का विवरण 94,13,856 /– रूपये होना पाया गया। (जी.ए. 55 व बैक विवरण के आधार पर)	1995 से चैक अवधी तक	स्वंय के द्वारा	94,13,856 /–
2	संदिग्ध श्री योगेश आचार्य की पत्नि अंजना आचार्य वर्ष 1999 से चैक अवधी तक सरकारी स्कूल में शिक्षिका के पद पर नियुक्त है जिसके वेतन की आय का विवरण 1,04,05,245 /– रूपये होना पाया गया। (जी.ए. 55 व बैक विवरण के आधार पर)	सितम्बर 1999 से चैक अवधी तक	स्वंय के द्वारा	1,04,05,245
एस.ओ. एंव उसके परिवार के सदस्यों द्वारा चैक पीरियड वर्ष 1995 से खाना तलाशी दिनांक तक प्राप्त की गई शुद्ध आय का योग :–				**1,98,19,101 /–**

प्रपत्र–द

चैक पीरियड वर्ष 1995 से खाना तलाशी दिनांक तक की अवधि में संदिग्ध, उसकी पत्नि एंव बच्चों द्वारा किए गए खर्चों /निवेश का विवरण

क्रं. सं.	खर्च का शीर्षक का विवरण	खर्च करने की अवधि दिनांक / वर्ष	किसके द्वारा खर्च किया गया – संदिग्ध से संबध	खर्च (राशि)
1.	2.	3.	4.	5.
1	संदिग्ध श्री योगेश आचार्य वर्ष वर्ष 1995 में स्थानीय निकाय विभाग में चतुर्थ श्रेणी तथा वर्ष 2005 में कनिष्ठ लिपिक कार्यालय सहायक के पद पर पदोन्निति हुई जिस पर वर्ष 2019 में संदिग्ध को स्वायत्त शासन विभाग जयपुर द्वारा अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सुमेरपुर	1996 से चैक अवधि	संदिग्ध स्वंय	31,37,952 /–

	व तखतगढ जिला पाली के रिक्त पद पर पदस्थापित रहा चैक अवधि तक असत्यापन योग्य व्यय का विवरण (प्राप्त शुद्व आय 94,13,856 /–रूपये का 1/3 भाग) हुई उक्त आय में से एक तिहाई रसोई खर्च 31,37,952/– रूपये होना पाया गया।			
2	संदिग्ध श्री योगेश आचार्य की पत्नि अंजना आचार्य वर्ष 1999 से चैक अवधी तक सरकारी स्कूल में शिक्षिका के पद पर नियुक्त है चैक अवधि तक असत्यापन योग्य व्यय का विवरण (प्राप्त शुद्व आय 1,04,05,245/–रूपये का 1/3 भाग) हुई उक्त आय में से एक तिहाई रसोई खर्च 34,68,415/– रूपये होना पाया गया।	सितम्बर 1999 से चैक अवधी तक	संदिग्ध की पत्नी के नाम (संदिग्ध पति पत्नी का पदस्थापन अलग–अलग जगह रहने के कारण दोनों रसोई खर्च अलग–अलग किया गया)	34,68,415/–
3	संदिग्ध श्री योगेश आचार्य के एक पुत्र लक्ष्य आचार्य व एक पुत्री पदमश्री उर्फ पलक आचार्य होना पाया गया संदिग्ध के उक्त दोनों पुत्र व पुत्री के शुरूआती पढाई पर व्यय अनुमानित खर्च 7,00,000/– रूपये होना पाया गया।	1995 से चैक अवधि	संदिग्ध की पुत्र व पुत्री का	7,00,000/–
4	संदिग्ध श्री योगेश आचार्य की पुत्री पदमश्री उर्फ पलक आचार्य का विदेश (अमेरिका) में पढाई पर खर्च 83,17,178/– रूपये होना पाया गया। (अमेरिका में न्यूयार्क ब्रांचं जेपी मोर्गन चेस बैंक खाता नम्बर 696523270 में संदिग्ध स्वयं के खाते से माह जून 2021 से माह नवम्बर 2023 तक यू.एस.डी. डॉलर पेटे व्यय)	वर्ष 2021 से वर्ष 2023	संदिग्ध की पुत्री पदमश्री उर्फ पलक पर	83,17,178/–
5	संदिग्ध श्री योगेश आचार्य के कुल 06 वाहनों के इन्श्योरेन्स एवं मेंटेनेस पर अनुमानित खर्च 5,00,000/– रूपये होना पाया गया।	वर्ष 2019 से वर्ष 2024	संदिग्ध स्वयं व परिजनो के नाम	5,00,000/–
6	संदिग्ध श्री योगेश आचार्य के कुल 06 वाहनों के ईधन पर अनुमानित खर्च 4,00,000/– रूपये होना पाया गया।	वर्ष 2019 से वर्ष 2024	संदिग्ध स्वयं व परिजनो के नाम	4,00,000/–
7	संदिग्ध योगेश आचार्य के आई.सी.आई.सी.आई. बैक खाता संख्या 681201068477 से दिनांक 18.03.2020 को गंगा बिल्डिंग कस्टेक्शन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से 5,00,000/– रूपये डेबिट होना पाया गया।	2020	संदिग्ध स्वंय के खाते से	5,00,000/–
8	संदिग्ध योगेश आचार्य के आई.सी.आई.सी.आई. बैक खाता संख्या 681201068477 से दिनांक 03.09.2020 को गोपाल गोयल एच.यू.एफ. के नाम से 11,00,000/–	2020	संदिग्ध स्वंय के खाते से	11,00,000/–

P-72

	रूपये डेबिट होना पाया गया।			
9	संदिग्ध योगेश आचार्य के आई.सी.आई.सी. आई. बैक खाता संख्या 681201068477 से दिनांक 26.12.2023 को डिम्पल मेहता एच.डी.एफ. के नाम से 3,60,000/– रूपये डेबिट होना पाया गया।	2023	संदिग्ध स्वंय के खाते से	3,60,000/–
10	संदिग्ध योगेश आचार्य के आई.सी.आई.सी. आई. बैक खाता संख्या 681201068477 से दिनांक 18.03.2024 को डिम्पल मेहता एच.डी.एफ. के नाम से 10,00,000/– रूपये डेबिट होना पाया गया।	2024	संदिग्ध स्वंय के खाते से	10,00,000/–
11	संदिग्ध योगेश आचार्य के आई.सी.आई.सी. आई. बैक खाता संख्या 681201068477 से दिनांक 09.04.2024 को डिम्पल मेहता एच.डी.एफ. के नाम से 12,00,000/– रूपये डेबिट होना पाया गया।	2024	संदिग्ध स्वंय के खाते से	12,00,000/–
12	संदिग्ध योगेश आचार्य की पत्नी श्रीमती अंजना आचार्य के एस.बी.आई. बैक खाता संख्या 61149251485 से दिनांक 15.04. 2023 को श्री बालकिशन सोलान के नाम से 5,66,099/– रूपये डेबिट होना पाया गया।	2023	संदिग्ध की पत्नी के खाते से	5,66,099/–
13	संदिग्ध योगेश आचार्य की पत्नी श्रीमती अंजना आचार्य के एस.बी.आई. बैक खाता संख्या 61149251485 से दिनांक 15.04. 2023 को श्री बालकिशन सोलान के नाम से 5,00,000/– रूपये डेबिट होना पाया गया।	2023	संदिग्ध की पत्नी के खाते से	5,00,000/–
14	संदिग्ध योगेश आचार्य के आई.सी.आई.सी. आई. बैक खाता संख्या 681201068477 से 20.07.2012 से 17.06.2024 तक विभिन्न शोरुमो व स्टोर से कपडे, जूते व अन्य सामान खरीदने पर कुल 21,66,822/–रुपये व्यय होना पाया गया।	2012 से 2024	संदिग्ध के स्वयं के खाते से	21,66,822/–
15	संदिग्ध योगेश आचार्य के आई.सी.आई.सी. आई. बैक खाता संख्या 681201068477 से 03.07.2022 को Makemytrip पर कुल 3,21,241/–रुपये व्यय होना पाया गया।	03.07.2022	संदिग्ध के स्वयं के खाते से	3,21,241/–
संदिग्ध. एंव उसके परिवार के सदस्यों द्वारा चैक पीरियड वर्ष 1995 से खाना तलाशी दिनांक तक किये गये व्यय /खर्च की गई कुल राशि का योग–				**2,42,37,707/–**

अतः उपरोक्त चारों प्रपत्र 'अ'ब'स'द' के आधार पर संदिग्ध द्वारा अर्जित आय से अधिक परिसम्पति निम्नानुसार हैं।:–

1. (क) चेक पीरियड से पूर्व अर्जित परिसम्पत्तियों का कुल मूल्य (प्रपत्र 'अ' का योग) = राशि .....00...... रूपये।
2. (ख) चेक पीरियड के अन्त में मौजूद परिसम्पतियों का कुल मूल्य (प्रपत्र 'ब' का योग) = राशि **3,04,23,375/–** रूपये।

3. (ग) चेक पीरियड के दौरान खरीदी/अर्जित सम्पतियों का कुल मूल्य (ख–क) = राशि **3,04,23,375/–00** = **3,04,23,375/–**रूपये ।

4. (घ) चेक पीरियड के दौरान एसओ, पत्नि, बच्चों की शुद्ध आय की (प्रपत्र 'स' का योग) = राशि **1,98,19,101/–**रूपये।

5. (ड़) चेक पीरियड के दौरान किए गए खर्चों की राशि (प्रपत्र 'द' का योग) = राशि **2,42,37,707/–** रूपये।

6. (च) चेक पीरियड के दौरान अर्जित कुल परिसम्पतियां एंव व्यय (ग+ड का योग) = राशि **3,04,23,375+ 2,42,37,707 = 5,46,61,082/–** रूपये।

7. (छ) आय से अधिक परिसम्पतियां (च–घ) =
राशि **5,46,61,082 – 1,98,19,101 = 3,48,41,981** रूपये।

8. (ज) आय से अधिक परिसम्पति का प्रतिशत = छ/घ x 100 = **3,48,41,981 /1,98,19,101** x 100 = + 175.80 प्रतिशत

इस प्रकार संदिग्ध श्री योगेश आचार्य ने अपने मूल विभाग स्वायत शासन विभाग मे पदस्थापन वर्ष 1995 से वर्तमान तक लोक सेवक की हैसीयत से सेवाकाल के दौरान राजकीय सेवा पदस्थापन से वर्तमान तक वेतन–भत्तों आदि से प्राप्त कुल आय **1,98,19,101/–** रूपये की तुलना में उनके द्वारा अपने व अपने परिवारजनों एंव रिश्तेदारो के नाम कुल अर्जित चल–अचल सम्पितियों एंव व्यय राशि का योग **5,46,61,082/–** रूपये होता हैं जो संदिग्ध अधिकारी के वैध स्त्रौतो से प्राप्त आय से (**5,46,61,082 – 1,98,19,101) 3,48,41,981/–** रूपये (175.80 प्रतिशत) अधिक राशि अर्जित करना पाया गया है। उपरोक्त तथ्यों से (1) संदिग्ध श्री योगेश आचार्य सहायक प्रशासनिक अधिकारी व कार्यवाहक आयुक्त नगर परिषद सांचोर, (2) श्रीमती अंजना आचार्य पत्नी श्री योगेश आचार्य निवासी पुलिस कोतवाली के पीछे मीनू सड़क बाडमेर हाल शिक्षिका, (3) श्री राजूराम पुत्र श्री कालूराम जाति जाट निवासी– आनन्दपुर कालू तहसील जैतारण जिला ब्यावर हाल– संवेदक मैसर्स (4) श्री चूनाराम पुत्र श्री निम्बाराम जाति माली निवासी बलदेव नगर बाडमेर .तत्कालीन संदिग्ध का चालक के विरूद्व अपराध अन्तर्गत धारा 13 (1) (ई) सपठित 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, 120 बी भा.द.स. एवं धारा 12, 13 (1) (बी) सपठित धारा 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत अपराध घटित होना पाया जाता है। संग्दिधों के विरूद्व प्रकरण दर्ज कर उनके निम्न **ठिकानों (1) संदिग्ध अधिकारी का पुस्तैनी मकान नगर परिषद् बाडमेर के पीछे वाली गली बाडमेर (2) संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती अंजना आचार्य के मन्नत एम्बेसी अशोक नगर पाल लिंक रोड जोधपुर में फ्लेट नम्बर 202 (3) संदिग्ध अधिकारी के नारायण विहार सांगानेर योजना जयपुर में रॉयल फ्लोरेन्सी मे फ्लेट नम्बर 1202 (4) ग्राम कोलीवाडा सुमेरपुर जिला पाली में स्थित संदिग्ध अधिकारी का फार्म हाउस (5) संदिग्ध ठेकेदार राजुराम पुत्र कालूराम जाति जाट का आनन्दपुर कालू, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर स्थित मकान (6) संदिग्ध चूनाराम पुत्र निम्बाराम जाति माली का प्रजापत छात्रावास के पास, बलदेवनगर, भुरटिया रोड बाडमेर स्थित मकान (7) संदिग्ध अधिकारी का ग्राम जंवाई बांध, बलवाना, तहसील सुमेरपुर स्थित फार्म हाउस (8) संदिग्ध अधिकारी का नगर परिषद सांचोर मे स्थित कार्यालय (9) संदिग्ध अधिकारी का सांचोर स्थित वर्तमान में रहवासीय मकान** की तलाश लेना आवश्यक है। तलाशी के दौरान कई मूल्यवान परिसम्पतियों के दस्तावेज, नकदी, एफडीआर, बैक लॉकर, स्वर्ण आभूषण एवं अन्य मूल्यवान परिसम्पतियां मिलने की विश्वस्त सूचना है।

अतः संदिग्ध अधिकारी **(1) श्री योगेश आचार्य सहायक प्रशासनिक अधिकारी व कार्यवाहक आयुक्त नगर परिषद सांचोर, (2) श्रीमती अंजना आचार्य पत्नी श्री योगेश आचार्य निवासी मन्नत एम्बेसी अशोक नगर पाल लिंक रोड जोधपुर में फ्लेट नम्बर 202, (3) श्री राजूराम पुत्र श्री कालूराम जाति जाट निवासी – आनन्दपुर कालू तहसील जैतारण जिला ब्यावर (4) श्री चूनाराम पुत्र श्री निम्बाराम जाति माली निवासी बलदेव नगर बाडमेर** के विरूद्व अपराध अन्तर्गत धारा 13 (1) (ई) सपठित 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, 120 बी भा.द.स. एवं धारा 12, 13 (1) (बी) सपठित धारा 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का घटित होना पाया जाता है। अतः बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते कमांकन सादर प्रेषित है।

भवदीय

(पारस सोनी)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जोधपुर ग्रामीण

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री पारस सोनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13 (1) (ई) सपठित 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, 120 बी भा.द.स. एवं धारा 12, 13 (1) (बी) सपठित धारा 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में वर्णित अपराध घटित होना पाया जाने से अभियुक्त (1) श्री योगेश आचार्य सहायक प्रशासनिक अधिकारी व कार्यवाहक आयुक्त नगर परिषद सांचोर, (2) श्रीमती अंजना आचार्य पत्नी श्री योगेश आचार्य निवासी मन्नत एम्बेसी अशोक नगर पाल लिंक रोड जोधपुर में फ्लेट नम्बर 202, (3) श्री राजूराम पुत्र श्री कालूराम जाति जाट निवासी – आनन्दपुर कालू तहसील जैतारण जिला ब्यावर (4) श्री चूनाराम पुत्र श्री निम्बाराम जाति माली निवासी बलदेव नगर बाडमेर के विरूद्ध अपराध संख्या 160/2024 दिनांक 01.08.2024 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर श्रीमान महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार अनुसंधान श्री संदीप सारस्वत, अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसआईयू जयपुर के सुपूर्द किया गया। प्रतियां एफ.आई.आर. नियमानुसार कता कर जारी की गई।

01/08/24

(विशनाराम)
पुलिस अधीक्षक–प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
राज0 जयपुर

क्रमांकः– 840-44 दिनांक :–01.08.2024

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. माननीय विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मामलात, क्रम संख्या–1 जयपुर
2. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय राज0 जयपुर
3. श्रीमान प्रमुख शासन स्वायत शासन विभाग,राज0 जयपुर
4. श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस–भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधुपर
5. श्री संदीप सारस्वत, अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसआईयू जयपुर

(विशनाराम)
पुलिस अधीक्षक–प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
राज0 जयपुर